



बलात्कार की घटनाओं पर नेताओं के घट्याली आँख - डॉ. किशन कचवाहा

आखिर बलात्कार जैसी अत्यन्त दूषित मानसिकता वाली घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ पा रही? क्या इसके लिये अन्य बातों के अलावा हमारी शिक्षा, रहन-सहन, खानपान और आसपास का माहौल-वातावरण, इसके लिये सीधे-सीधे जिम्मेवार हैं—ऐसा मान लेना चाहिए। मानसिकता में आयी खोट को कतई नकारा नहीं जा सकता। क्या कड़े से कड़े कानूनों को लागू किये जाने से इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है? दोषियों को फारसी की सजा दिये जाने तक की माँग समाज में उठने लगी है। बहरहाल इस पिशाची प्रवृत्ति पर तत्काल रोक की आवश्यकता तो है ही। क्या कानून के सहारे ही समाज में इन दुष्प्रवृत्तियों में सुधार लाया जा सकता है? ऐसे अनेक विचार मन को मथ रहे हैं।

नशैलियों की बढ़ती संख्या, टीवी, रेडियो, कम्प्यूटर, पोर्न साईट तथा अश्लील साहित्य—इनका भी किसी न किसी रूप में योगदान हो सकता है, जिनके कारण वातावरण विषाक्त बनता जा रहा है। आखिर इन सब पर नकेल कसना क्या केवल सरकार का काम है? इनसे अपराधियों की सोच दूषित हो रही है—इसमें दो मत नहीं हो सकते। महिलाओं पर फब्बियाँ कसने का सिलसिला एक लम्बे समय से देखने को मिल रहा है। इसकी रोकथाम कौन करेगा? क्या समाज के जागरूक लोगों को आगे नहीं आना चाहिये? इसके लिये और इसके रोकथाम के प्रयासों में उत्पन्न विवादों की जड़ में जाकर पुलिस को भी सचेतन मन से काम करने की आवश्यकता होगी। घरेलू आसपास के वातावरण से भी बालमन पर कतिपय दूषित बीजों का प्रतिरोपण होता है, जो आगे जाकर गम्भीर अपराधों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान में कमी एक कारण हो सकता है लेकिन क्या उनकी उत्तेजक वेशभूषा को भी दोष नहीं

दिया जाना चाहिये?

नशा और पोर्न साईट
छोटी-छोटी उम्र के बच्चों में गुटका आदि उत्तेजक व्यसनों ने उन्हें बेसुध बना रखा है, ऐसे अनेक मामले हमारी आँखों के सामने आते रहते हैं, जिन्हें हम नज़र अंदाज कर देना ही बेहतर समझते हैं—इसे साहसी प्रवृत्ति का अभाव ही माना जाएगा? इसकी पहल की अपेक्षा किससे की जाय? लाचार कानून व्यवस्था का लाभ हीन प्रवृत्ति के लोग अक्सर उठाते हैं, जबकि सुधार का प्रयास करने वाले कानूनी उलझनों में फंसकर परेशान होते हैं। अक्सर अपराधियों के कानून के फंदे से बच निकलने के कारण यह सोच मजबूत हुयी है कि पावर और पैसा उन्हें बच निकलने में सहायक होता है। इसे व्यवस्था की खामी के रूप में देखा जाना चाहिये।

बलात्कार जैसी घटनाओं को दूषित मानसिकताओं का जनक तो माना ही जाता है जिसे विज्ञापनों, फिल्मों और टी..वी. धारावाहिकों से प्रोत्साहन मिलता है। फिल्मों में अश्लील पोशाकों में दिखलाये जाने वाले महिलाओं के चित्र क्या उचित हैं? जिसे इस दूषित मानसिकता को खाद—पानी मिलता है। अबोधमन पर इसका गहरा असर होता ही होगा— इसे कैसे नजर अंदाज किया जाय? मोबाइल तो अब बच्चों की पहुंच से बाहर तो है ही नहीं। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के तथ्यों को अनेक बार उजागर कर चुके हैं, हम हैं तो इस ओर ध्यान देते ही नहीं।

अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन ने अपनी अपराध सम्बंधों वाली रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि यौन हिंसा के लिये अस्सी प्रतिशत मामले अश्लील साईटों और तस्वीरों से उपजे हैं। इंटरनेट क्रांति ने इस सहज बना दिया है।

इस प्रकार की वारदातों की बढ़ती संख्या न केवल व्यक्ति

के लिये वरन् पूरे समाज के लिये अत्यन्त चिन्ताजनक है जिससे निजात पाने के लिये शीघ्रतात्त्विक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। सदविचारों का प्रसार और आध्यात्म का सहारा लिया जाना भी वर्तमान समय में श्रेयस्कर साबित हो सकता है, लेकिन इस माझ़ने में कतिपय साधुओं और सत्सं से जुड़े महानुभावों पर उठी अंगुली ने भी निराश ही किया है।

अध्यात्म के माध्यम से आदमी के व्यक्तित्व, उसके चिन्तन और चरित्र उसकी कार्य करने की शैली, उसके गुण—कर्म और स्वभाव में परिष्कार किया जा सकता। यही निष्कर्ष है अध्यात्म का।

नैतिक शिक्षा का

प्रचार-प्रसार — ज्यादातर देखने में आ रहा है कि आज बाह्य आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागा जा रहा है। वह स्वयं के अलावा दूसरों के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। वह सकारात्मक सोच से लगभग दूर हो गया है। उसका मकसद सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिये जीना हो गया है। इसका प्रभाव और परिणाम बच्चों पर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में पूरे परिवार का दुनिया, देश और समाज से कोई मतलब नहीं रह गया है—यह कैसी सोच है।

अतः आवश्यक है कि बालकों में शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता दें। उनके व्यक्तित्व निर्माण में नैतिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

शिक्षा के उपरान्त विद्या का उपयोग अपने लिये न होकर समाज और देश को लाभान्वित करने में हो। विद्या कल्याण का मार्ग बने, पतन का नहीं। आज विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयों तक की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है, लेकिन जो परिणाम सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे निराशाजनक हैं। परिणाम अच्छे आये— इस पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है।

एक अन्य अहं सवाल है कि यौन उत्पीड़न से निपटने के लिये कानूनों को सख्त बनाये जाने के बावजूद बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि दर बहुत कम है, जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति पैदा करने वाली वास्तविकता है। इस मामले में पुलिस को और अधिक कुशल बनाये जाने की आवश्यकता है। पूरे देश को हिलाकर रखने वाले निर्भया सामूहिक बलात्कार के मामले में अब तक सात साल बीत चुके हैं। दोषियों को अभी भी सजा नहीं मिल सकी है। जबकि निर्भया कांड की भयानकता और विभीतिका सामने आने के एक सप्ताह बाद ही यौन-उत्पीड़न मामलों से निपटने के लिये आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिये न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति गठित की गई थी। लेकिन इस समिति के निष्कर्ष की अनदेखी हो रही है जिसके कारण चुनावी प्रक्रिया में ठोस सुधार नहीं हो सका। इन सुधारों के बगैर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी लाने का दावा कैसे सम्भव हो सकता है?

ऐसी दुर्भाग्य पूर्ण घटनाओं पर देशभर में रोष पैदा हो ना स्वाभाविक है लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा इस मुद्दे पर आक्रोश तो व्यक्त करते किया जाता है लेकिन चुनावों में दल ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकिट दे देते हैं, जिनकी संलग्नता इस प्रकार के जघन्य अपराधों में रही होती है, तथा विधानसभाओं में ऐसी संख्या बहुत अधिक है। इस स्थिति में वह व्यक्त किया गया आक्रोश—क्या घड़ियाली आंसू बहाना सिद्ध नहीं होता?

जे.एस. वर्मा समिति की 44 पृष्ठीय रिपोर्ट में एक अध्याय है 'चुनाव सुधार'। उसमें विशेष रूप से लिखा है कि "चुनावी प्रक्रिया" में सुधार लाये बिना महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में शेष भाग पृष्ठ क्र. 4 पर

“विश्व की भारत ने पढ़ाया मानवता का पाठ”

“भारत पश्चिमी अवधारणा वाला देश नहीं है। यह सनातन काल से एक सांस्कृतिक देश रहा है। अतः भारत को देखने का पश्चिमी नजरिया गलत है। वास्तव में भारत ऐसा देश है, जिसने विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया है। हमारी सभ्यता में अनेक सभ्यताओं को समाहित करने की शक्ति है। तभी भारत अनेक भाषा, वेशभूषा, धर्म, पंथ को मानने वाला देश बन सकने में समर्थ हुआ है। इसलिये जब हम हिन्दुत्व की बात करते हैं तो केवल एक सम्प्रदाय की बात नहीं करते, हमारे लिए इस देश का प्रत्येक नागरिक हिन्दू है।”

उक्त बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत ने कही। वे गत दिनों पूर्व ओडिशा प्रान्त द्वारा आयोजित विशिष्ट नागरिक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिन्दुत्व एक जीवन शैली है, संस्कृति है, जीवन जीने का तरीका है। मगर कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में भारत में सांस्कृतिक विविधता वैदिक काल से चली आ रही है। हम आरम्भ से मानते आ रहे हैं कि विभिन्न पंथ, सम्प्रदाय द्वारा अपनी-अपनी उपासना पद्धति को अपनाते हुए सभी को मान-सम्मान करने की हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। हम जब भारत के विकास की बात करते हैं तो उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विकास की बात करते हैं। उसमें पंथ-सम्प्रदाय को लेकर हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं होता। संसार में यही एकमात्र ऐसा देश है, जो विभिन्न संस्कृतियों को समाहित कर सदैव से अपनी पहचान बनाए रखने में समर्थ रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले अन्य मतावलम्बी यानी मुसलमान, ईसाई लोग भी स्वयं को भारतीय कहने पर गर्व करते रहे हैं। लेकिन 1940 के पश्चात् राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ लोगों का नजरिया बदला है। पर, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह बदलाव सामयिक है। वास्तव में भारत में रहने वाला हर नागरिक स्वयं को इसी देश से जोड़कर देखता है और इस पर गर्व भी करता है। संघ को लेकर फैलाई जाने वाली भ्रांतियों पर श्री भागवत ने कहा कि कुछ लोगों का काम ही है संघ को बदनाम करना। लेकिन अगर ऐसे लोग वास्तविकता में संघ की शाखा में आना शुरू करें तो उन्हें सही, गलत का पता चलेगा। संघ को समझने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों की भ्रांतियां दूर हो सकें। हमारा आग्रह है कि ऐसे लोग संघ को नजदीक से जानने के लिए संघ के निकट आएं, उसे देखें, अनुभव करें, तब जाकर समझ आएगा कि संघ क्या करता है। हमारा तो मानना है कि संघ जैसा संगठन और नहीं है।

1,50,000 से अधिक सेवा प्रकल्प चला रहे हैं स्वयंसेवक

गत 16–18 अक्टूबर को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के अंतिम दिन संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री भैयाजी जोशी ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक देशभर में 1,50,000 से अधिक सेवा कार्य चला रहे हैं। आपदा के समय तो संघ पहले से ही काम कर रहा था, परन्तु 1989 से संघ ने योजनाबद्ध रूप से सेवा क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया।

उन्होंने कहा कि 20 स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक सेवार्थ बड़े अस्पताल चलाते हैं, उनकी क्षमता 50 से 150 शैया तक है। संघ के स्वयंसेवक 15 ब्लड बैंक चलाते हैं, जो उस क्षेत्र की 50 प्रतिशत तक की आवश्कता को पूरा करते हैं। दिव्यांगों के क्षेत्र में भी स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 3 से 4 हजार ग्राम विकास के क्षेत्र में भी स्वयंसेवकों के प्रयास से अभी तक देश के 250 गांवों में ग्रामवासियों के सहयोग से ही विकास का मॉडल स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी ग्राम विकास की परिकल्पना में हम मानते हैं कि गांव के लोग ही अपना कार्य करें। हम केवल सहयोग करेंगे। संघ के स्वयंसेवकों ने पांच क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक वातावरण, स्वावलम्बन को ग्राम विकास में शामिल किया है। एनआरसी के मामले में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनआरसी पूरे देश में लागू होनी चाहिये। किसी भी सरकार का कार्य है कि वह देश में घुसपैठियों की पहचान करे और नीति बना कर उचित कार्रवाई करे। अभी तक यह प्रयोग केवल असम में हुआ है। इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। बंगाल में निरंतर हो रही हिंसा पर उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वामपंथी शासनकाल में विरोधी विचारधारा के प्रति प्रारम्भ हुआ हिंसा का चक्र वर्तमान सरकार के बाद भी अवाध गति से चल रहा है।

पाणिनी विचार मंच द्वारा गोष्ठी का आयोजन

‘राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन इनमें हिन्दुत्व के मूल्यों का ह्रास नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति विश्व की ऐसी विलक्षण धरोहर है, जिसके शाश्वत मूल्यों का यहां सतत विकास हुआ है। हजारों साल से हमारे देश को इसी विलक्षणता के कारण हिन्दू राष्ट्र कहा जाता रहा है।’ उक्त विचार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने व्यक्त किए। वे पिछले दिनों शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में महर्षि पाणिनी विचार मंच की ओर से आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में भौतिकता और अध्यात्म का एक विशिष्ट समन्वय रहा है जो इसे विलक्षण बनाता है। लेकिन जेएनयू के कुछ प्रोफेसर झूठ बोलने में माहिर रहे हैं, जिस कारण वे गलत जानकारियां पढ़ाते रहे। भारत हमेशा से एक राष्ट्र रहा है। महाभारत के युद्ध के बारे में कहा कि यह युद्ध एक राष्ट्र का युद्ध था, लेकिन हमारे इतिहास में यह पढ़ाया जाता रहा कि भारत टुकड़े-टुकड़े था। आर्य यूरोप से आए, उन्होंने यहां के मूल निवासियों को दक्षिण की ओर भगा दिया। लेकिन अब यह सिद्धांत गलत साबित हो रहा है, उनका झूठ सबके सामने आ रहा है। एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता की आड़ में बेरोजगारी को नहीं छिपाया जा रहा, बल्कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था के प्रति गम्भीर है और इससे निपटने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे राज्य के राज्यपाल श्री बंडारु दत्तात्रेय। समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता की भावना से भारत विश्वगुरु बन सकता है। राष्ट्रीयता एक प्रेरणा है जो हमारे खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने और सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान करने को प्रेरित करता है। आज देश के बाहर व भीतर अलगाववादी, विघ्नकारी शक्तियां सक्रिय हैं, जिनसे लड़ना देश के सामने एक चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए शक्ति राष्ट्रीयता की भावना से ही आ सकती है। इसलिये देश की नई पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों और देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित योग भारती के संस्थापक श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि भारत की परम्परा करोड़ों वर्ष पुरानी रही है, इसका अतीत गौरवशाली रहा है। भारत हमेशा से ही विश्व का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता माईक्रोटेक के चैयरमेन सुबोध गुप्ता ने की।

बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते बढ़ी सोने की तस्करी

मुंबई/बांग्लादेश और म्यांमार की खुली सीमा देश में अवैध गोल्ड इंपोर्ट का बड़ा रास्ता बन गई है। यह जानकारी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) के मुंबई जोनल यूनिट के एक अधिकारी से मिली है। उन्होंने कुछ ही समय पहले मुंबई के एक जौहरी को सोने के बिस्क्टों की तस्करी में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने बताया कि हमने देशभर में हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर निगरानी बढ़ा दी है। इसलिए बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते आने वाले अवैध सोने की मात्रा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि खुली सीमा वाले रास्ते की अपनी चुनौतियां होती हैं। हम इस मुश्किल से निपटने के तरीके पर विचार कर रहे हैं। डीआरआई मुंबई में वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 212 किलो और मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 132 किलो अवैध सोना पकड़ चुका है।

बिना बिल के काम – गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी के साथ टैक्स रेट 15.5 फीसदी है। तस्करी वाला गोल्ड वैध इंपोर्ट वाले के मुकाबले मामूली छूट पर बेचा जाता है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि अवैध गोल्ड का पूरा कारोबार बिना बिल के काम करता है। बुलियन डीलरों और सराफा कारोबारियों पर इसका बुरा असर पड़ता है, जो ड्यूटी चुकाकर व्यापार करते हैं। व्यापार संगठनों के अनुमानों के मुताबिक, सालाना 100–120 टन गोल्ड की तस्करी होती है।

क्यों हुआ इजाफा – इस मामले से वाफिक सूत्रों ने बताया कि इस तरह की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर तैनात अर्धसैनिक बलों की मदद भी ली जा सकती है। हालांकि, इस मामले पर डीआरआई ने कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। कुछ ट्रेडर्स और बुलियन मर्चेंट्स का दावा है कि सोने की तस्करी में जुलाई के बाद ज्यादा इजाफा हुआ है क्योंकि उसी महीने सरकार ने आयात शुल्क 10 फीसदी बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया था।

प्रधानमंत्री के उपहारों से 15.13 करोड़ की आय

नई दिल्ली/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिले उपहारों व सृति चिह्नों की नीलामी से 15.13 करोड़ रुपए की आय हुई है। केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने इस संबंध में केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय से जवाब मांगा था।

मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ये उपहार और सृति चिह्न 2015 से 24 अक्टूबर 2019 तक प्राप्त हुए थे। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से 18 फरवरी से 20 फरवरी 2015, 27 जनवरी से एक अप्रैल 2019 तथा 24 सितम्बर से 24 अक्टूबर 2019 के बीच नीलामी आयोजित की गई।

धर्म अनिवार्य क्यों हैं?

हम समझते हैं— धर्म ऐच्छिक है, इसे हम मानें हमारी इच्छा, न मानें हमारी इच्छा। इसी प्रकार हम यह भी मानते हैं कि धर्म अनेक होते हैं, इसमें भी विकल्प हैं। कोई किसी बात को धर्म मानता है, कोई किसी बात को धर्म नहीं होता है।

अर्थ की आवश्यकता स्पष्ट है, धर्म की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है। मनुष्य के पास जब पर्याप्त साधन हो जाते हैं, तब वह समझता है— मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार सब अपने लिये अपने—अपने पुरुषार्थ से धन कमा लेंगे, फिर मेरे धन की भी किसी को आवश्यकता नहीं रहेगी। मैंने अपने प्रयत्न से अपनी सूझ—बूझ और बुद्धि से धन कमाया है, वह मेरा है, अतः मैं किसी को भी क्यों दूँ? यह विचार स्वाभाविक है, इस विचार को सुधारने के लिए हमें वह प्रसंग खोजना होगा, जहां हमारे साधन सम्पन्न होने पर भी ये साधन हमारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। आज नेपाल में भूकम्प आया है, क्या वहां के साधन सम्पन्न लोगों को कोई कष्ट नहीं है? क्या उनकी सम्पत्ति, उनके काम आ रही है? हम देखते हैं कि सम्पन्न व्यक्ति का घर टूट गया है, उसके पास आज रहने के

लिए स्थान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, चोट और रोग की पीड़ा दूर करने के लिए उनके पास औषध और चिकित्सक नहीं है। आज उसके पास कोई सान्त्वना देने वाला भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या धन उसकी सहायता कर सकता है? प्रथम तो उसके साधन नष्ट हो गये होते हैं, यदि साधन कहीं रखे भी हैं तो व्यवस्था के छिन्न—भिन्न हो जाने से वे साधन उसे एक घूंट पानी या एक ग्रास भोजन दिलाने में भी असमर्थ हैं। ऐसे समय में उसे कोई व्यक्ति पानी, भोजन, वस्त्र आदि साधन और सान्त्वना क्यों देगा, बस यहीं से दूसरी व्यवस्था का जन्म होता है, जिसे हम धर्म कहते हैं।

धर्म का फल मिलता है। लोग समझते हैं, धर्म का कोई फल नहीं मिलता, धर्म का फल मिलता है, क्योंकि ऐसा सम्भव नहीं है कि आपने कर्म किया हो, उसका फल न मिले। जब बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है तो धर्म के रूप में अच्छे कर्म का अच्छा फल क्यों नहीं मिलेगा? फल तो निष्काम कर्म का भी मिलता है, क्योंकि वह कर्म फल की आकांक्षा से प्रेरित होकर चाहे नहीं किया गया, परन्तु कर्म

तो है। कर्म है तो फल भी होगा। सकाम कर्म में फल की इच्छा से कर्म किया जाता है। निष्काम कर्म में कर्ता के मन में फल की इच्छा नहीं रहती, फल परमेश्वर की व्यवस्था पर छोड़ दिया जाता है। सांसारिक कर्म पाप और पुण्य नहीं होने पर भी आवश्यक होने से फल की इच्छा से किये जाते हैं। धर्म के कार्य में और व्यापार के कर्म में अन्तर इतना ही है कि व्यापार के फल के रूप में धन को ध्यान में रख कर व्यापार किया जाता है, धर्म पुण्य रूप फल को ध्यान में रखकर किया जाता है। रेल के डिब्बे में दो लोग पानी पिला रहे हैं या भोजन दे रहे हैं। एक जो पैसा लेकर देता है, उससे कोई भी व्यक्ति ले सकता है, परन्तु उसकी जेब में पैसे होने चाहिए। आपको कितनी भी भूख या प्यास लगी हो, यदि पैसे पास में नहीं हैं तो आप को भोजन या पानी नहीं मिल सकता। पैसे हैं तो आप बिना आवश्यकता के भी सामान लेकर अपने आप रख सकते हैं। इसके विपरीत धर्म आपके पैसे नहीं देखता, धर्म आपकी आवश्यकता देखता है, आपकी पीड़ा या कष्ट दर करता है। यहीं उसका मत्त्य

पृष्ठ क्रमांक 1 का शेष भाग

कर्मी लाना असम्भव है।

स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे होने पर भारी जश्न मनाया गया था। उस अवसर पर संसद ने अगस्त 1997 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसमें राजनीति के अपराधीकरण पर अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की गयी थी। उसमें कहा भी गया था कि इस दिशा में भरसक प्रयास भी किये जायेंगे। यह तभी सम्भव है, जब देश के राजनीतिक दल चाहेंगे।

पृष्ठ क्रमांक 3 का शेष भाग

है। धर्म आपके कष्ट को दूर करने के लिए किया जाता है, इसी कारण ऐसे कार्य को सेवा कहा गया है। पुराने लोगों ने सेवा को धर्म कहा है। जब कोई दुकानदान या सेवक सेवा करता है तो वह भी सेवा है, परन्तु धर्म की भाँति निष्काम कर्म नहीं है। जब धर्म समझ कर किसी की सेवा करते हैं, तब उसका धर्म, जाति, रूप, रंग, संबंध आदि में किसी का बोध नहीं होता। हम केवल उसकी पीड़ा से पीड़ित होते हैं और पीड़ा को दूर करना चाहते हैं। यदि सेवा में हम पक्षपात करते हैं, तब वह कार्य धर्म नहीं होगा, व्यापार होगा, सौदा होगा। बदले में आप कुछ भी क्यों न चाहते हों, जब आप बदला चाहते हैं, तब व्यापार करते हैं और तब वह पाप तो नहीं, परन्तु पुण्य भी नहीं, वह अपनों के साथ किया गया, कर्तव्य है। अतः जब कुछ देकर कुछ लिया जाता है, वह व्यापार है। जो देकर ही सुख मानता है, वह किसे दे रहा है, इससे उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता, तब वह कार्य धर्म कहलाता है।

लोग समझते हैं कि धर्म बड़ी कठिन और गहरी वस्तु है, उसका समझना सबके लिए सरल नहीं है। यह हो सकता है कि विवेचना के स्तर पर तर्क-वितर्क में उसको समझना कठिन हो, परन्तु व्यावहारिक धरातल पर धर्म को समझना और करना दोनों ही सरल हैं। आप भोजन करते हैं, तब आप नहीं कहते कि आप धर्म कर रहे हैं, परन्तु रोटी का छोटा-सा टुकड़ा थाली में से निकाल कर किसी निमित्त रखते हैं, तब आप धार्मिक भावना से भरे होते हैं। हमारे घरों में मातायें रोटी बनाते हुए पहली रोटी गाय के लिए और अन्तिम रोटी कुत्ते के लिए बनाती थीं। यह रोटी अपने लिए नहीं होने से स्वार्थ नहीं, परोपकार है और परोपकार और धर्म दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जब हम स्वयं पानी पीते हैं, तब स्वार्थ होता है और जब सब के लिए पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, तब उसे धर्मार्थ प्याऊ कहते हैं। हम अपने लिए भवन बनाते हैं, तब वह घर होता है, होटल होता है, जब उपकार की भावना से घर बनाते हैं, तब उसे धर्मशाला कहते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाना स्वार्थ है, परन्तु निर्णि, असमर्थ बच्चों की सहायता करना धर्म है। मनुष्य की जो-जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति स्वार्थ है। यदि हम उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति निस्वार्थ भाव से अन्यों की करते हैं, तब वह धर्म बन जाता है। धर्म मनुष्य को संवेदनशील बनाता है, उसका मुख्य कारण है—स्वार्थ में मनुष्य के मन में रजोगुण प्रबल होता है। जब मनुष्य धर्म का कार्य करने की इच्छा करता है, तब उसके अन्दर सतोगुण की प्रबलता होती है। स्वामी दयानन्द जी के जीवन में आता है कि जब एक किसान गाड़ी में जुते हुए बैलों को मार—मार कर कीचड़ से गाड़ी को निकाल रहा था, तब स्वामी जी ने स्वयं गाड़ी में जुतकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया।

चीन की

चीन का क्षेत्रफल भारत से तीन गुना बड़ा है। स्वतंत्र देश के रूप में चीन भारत से दो वर्ष छोटा है। अर्थात् भारत 2 वर्ष बड़ा है। भारत सन् 1947 में स्वतंत्र हो गया था। किन्तु चीन कम्यूनिस्ट गणतंत्र के रूप में सन् 1949 के समय विश्व के पटल पर आया। इसके बावजूद आज चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग पाँच गुनी अधिक है। (चीन की अर्थव्यवस्था आज 13457 बिलियन डॉलर है जबकि भारत की 2689 बिलियन)

200 वर्ष की गुलामी के बावजूद जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तब (भारत) एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। चीन 1980 तक भारत की तुलना में गरीब देश था। किन्तु आज 2019 में चीन का सकल राष्ट्रीय उत्पाद भारत से 4.6 गुना अधिक है। माओत्से तुंग के समय 1978 तक चीन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। किन्तु सन्

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं-1, म.नं. 1692, नवआर्दश कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान—विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआर्दश कालोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश। संपादक—डॉ. किशन कछवाहा-

Email:- vskjbp@gmail.com

अर्थव्यवस्था

बदलाव (डायवर्सीफिकेशन) भी नहीं कर सके। भारी उद्योग अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हमारे यहां चीन के बराबर ही सस्ता श्रम उपलब्ध था किन्तु हम छोटे-छोटे उद्योगों के लिए भी विदेशी निवेश आकृष्ट नहीं करा पाये क्योंकि हमारे यहाँ—

—पिछले 70 वर्षों में पूँजी निवेश को कई प्रकार से राजनेताओं, एनजीओ, विरोधीदलों, कानूनी उलझनों ने हतोत्साहित किया है।

—एक छोटे उद्योग के लिए भी बीस-पच्चीस लायरेंस लने पड़ते हैं। पचासों इन्सपेक्शन कराने पड़ते हैं, इंसपेक्टर्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। दर्जनों जनहित याचिकाओं से जूझना पड़ता है। दर्जनों नेताओं का विरोध झेलना पड़ता है। उन्हें खुश करना पड़ता है। तब कहीं जाकर दो चार साल बाद क्लीयरेंस मिल पाती है। क्लीयरेंस मिल भी जाये तो कोई न कोई एनजीओ अदालत

से स्टे ले आता है। जो भी विरोधी दल होता है वह पूरी योजना को असफल बनाने में लग में दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो उसकी सरकार कहीं लायरेंस को केंसिल न कर दें। चीन में कोई जनहित याचिका नहीं, कोई स्टे नहीं, कोई नेता का विरोध नहीं, पर्यावरण, बिजली, पानी विभागों से विलयरेंस मिलने में कोई नेता विरोध नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं।

पार्टी और सरकार बदलने का कोई चक्र नहीं। भारत का विकास भी चीन की जैसी गति से हो इसके लिए हमें रास्ता खोजना पड़ेगा।

—राजेन्द्र शर्मा ‘अक्षर’

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई-मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

— सम्पादक